

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 16.12.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता विश्राम पुत्र बनवारी निवासी टेडुआ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 सुरेन सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ❖ *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 155 वाहनों से 1,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 155 वाहनों से 1,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 3500रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 15.12.2025 को ***माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0/ एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 3500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 31/2002 धारा 323, 325, 504 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश पुत्र तेजभान पुत्र साङेरुर्द थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323, 325, 504 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 03 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 9000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 15.12.2025 को ***माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0/ एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा मारपीट करने के मामले में 03 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास व 3000-3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 30/2004 धारा 323, 325, 504,506 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- सुरेश पुत्र हरिहर निवासी बेलबनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 2- रामचन्द्र पुत्र लालमन 2- रघुनाथ पुत्र बृजलाल निवासीगण अव्वल केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323, 325, 504,506 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3000-3000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 08-08 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 500रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 15.12.2025 को ***माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम संतकबीरनगर*** द्वारा मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

एन0सी0आर0 138/2000 धारा 323, 504 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त बाबूराम पुत्र हरिराम विश्वकर्मा निवासी कड़सरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323, 504 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता विश्राम पुत्र बनवारी निवासी टेडुआ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 सुरेन सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ❖ *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 155 वाहनों से 1,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 155 वाहनों से 1,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 3500रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 15.12.2025 को *माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0/ एसीजेएम संतकबीरनगर* द्वारा मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 3500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 31/2002 धारा 323, 325, 504 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश पुत्र तेजभान पुत्र साङेरुर्द थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323, 325, 504 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 03 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 9000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 15.12.2025 को *माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0/ एसीजेएम संतकबीरनगर* द्वारा मारपीट करने के मामले में 03 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास व 3000-3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 30/2004 धारा 323, 325, 504,506 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- सुरेश पुत्र हरिहर निवासी बेलबनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 2- रामचन्दर पुत्र लालमन 2- रघुनाथ पुत्र बृजलाल निवासीगण अव्वल केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323, 325, 504,506 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 3000-3000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 08-08 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 500रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 15.12.2025 को *माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम संतकबीरनगर* द्वारा मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

एन0सी0आर0 138/2000 धारा 323, 504 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त बाबूराम पुत्र हरिराम विश्वकर्मा निवासी कड़सरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323, 504 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

- *थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये मोटर चोरी के मामले से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार*
- *अभियुक्त के पास से 01 अदद पानी का विजली मोटर (टूटा हुआ), 01 अदद मोटर का पंखा मय एल्बो, 2.5 किग्रा तौबा का तार, 01 अदद विजली मोटर का ढक्कन व घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* द्वारा जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को मु0अ0सं0 1162/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों नाम पता 01. प्रिंस कुमार चौधरी पुत्र वंश गोपाल चौधरी साकिन काटगंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, 02. शरीफ पुत्र सुभान साकिन काटगंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, 03. जितेन्द्र कुमार पुत्र लाला साकिन जगदीशपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को चोरी की 01 अदद पानी का विजली मोटर (टूटा हुआ), 01 अदद मोटर का पंखा मय एल्बो, 2.5 किग्रा तौबे का तार, 01 अदद विजली मोटर का ढक्कन व घटना मे प्रयुक्त 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल के साथ बरामद करते हुए भैसा सेहरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 303(2) बी0एन0एस0 में धारा 317(2), 112(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी है।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-**

दिनांक 14.12.2025 को वादी श्री राम सिंह पुत्र स्व0 श्यामा यादव निवासी फुलवरिया पोस्ट गाँधी ग्राम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर दिनांक 11.12.2025 को वादी के घर के बगल से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0 खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1162/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. प्रिंस कुमार चौधरी पुत्र वंश गोपाल चौधरी साकिन काटगंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. शरीफ पुत्र सुभान साकिन काटगंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03. जितेन्द्र कुमार पुत्र लाला साकिन जगदीशपुर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

01. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल पल्सर (UP58AJ2215)।
02. 01 अदद पानी का विजली मोटर टूटा हुआ।
03. 01 अदद मोटर का पंखा मय एल्बो।
04. 2.5 किग्रा तौबे का तार(मोटर से प्राप्त)।
05. 01 अदद विजली मोटर का ढक्कन।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, हे0का0 दीपचन्द राजभर, का0 सत्यप्रकाश, का0 जयकिशन गोंड।